

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

प्रधान सचिव, उद्योग विभाग-सह-अध्यक्ष, बियाडा के समक्ष बियाडा द्वारा रद्द किये गए भू-आवंटन आदेश के विरुद्ध अपील आवेदन प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। अपील की सुनवाई हेतु अपील शुल्क की राशि रू० 1000/- (एक हजार) का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के पदनाम से अपील आवेदन के साथ पूर्व से निर्धारित है, जो आज के परिपेक्ष्य में कम है।

समीक्षोपरान्त वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग-सह-अध्यक्ष, बियाडा के समक्ष बियाडा के भू-आवंटन रद्दगी आदेश के विरुद्ध अपील आवेदन शुल्क रू० 5000/- (पाँच हजार) निर्धारित किया जाता है। साथ ही अपीलकर्ता तथा बियाडा को अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करने वाले अपील आवेदन में शपथ-पत्र (Affidavit) भी देना होगा अन्यथा अपील आवेदन अपीलीय प्राधिकार के समक्ष मान्य नहीं होगा।

ह०/-
(रंजीत कुमार)

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

/पटना, दिनांक-

5 (स०)-बियाडा (अपील फीस) 21/2018

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बियाडा अपने वेबसाईट पर इसे अपलोड करेंगे।

ह०/-
(रंजीत कुमार)

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

4718

/पटना, दिनांक-

30-10-18

5 (स०)-बियाडा (अपील फीस) 21/2018

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे उद्योग विभाग के वेबसाईट पर अविलंब अपलोड किया जाए।

ह०/-
(रंजीत कुमार)

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।